समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

राजसात् वाद संख्या–19/2023–24

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

–बनाम्–

अजय गोराईं

–::आदेश::–

10.07.2024 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–24/2023, दिनांक–08.06.2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि पिण्ड्राजोरा थाना कांड सं0–115/2022, दिनांक–14.09. 2022 के अन्तर्गत जप्त ट्रैक्टर वाहन रजि0 नं0–JH09AK-7970 एवं ट्रॉली रजि0 नं0–JH09AK-7061 उस पर लदा करीब 100 घनफीट बालू वाहन मालिक श्री अजय गोराईं पिता हरिपद गोराईं, सा0–जाला, घटियाली, थाना पिण्ड्राजोरा, जिला बोकारो के विरूद्ध अवैध खनन एवं परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप उनके द्वारा The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं बालू को राजसात् की कार्यवाही करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

वाद का सारांश है कि दिनांक–14.09.2022 को अंचल अधिकारी, चास समय करीब 15:00 बजे दिन में सशस्त्र बल के साथ पिण्ड्राजोरा थाना क्षेत्र में औचक निरीक्षण के क्रम में जैसे ही पिण्ड्राजोरा थाना अन्तर्गत घटियाली बस्ती से पहले तालाब के पास रोड पर पहुँचे तो देखा कि एक ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नं0– JH09AK-7970 एवं ट्रॉली रजि0 नं0–JH09AK-7061 पर अवैध रूप से बालु लोड कर सोनाबाद की ओर से आ रहा था। जिसे रूकने का इशारा करने पर पुलिस बल को देखते ही अवैध बालु लदा ट्रैक्टर का चालक गाड़ी को तेजी से भगाने लगा। जिसे पुलिस बल के सहयोग से पीछा कर गाड़ी को पकड़ लिया गया। पकड़े गये चालक का नाम एवं पता पुछने पर अपना नाम प्रदीप गोराईं पिता हरिपद गोराईं, ग्राम जाला, थाना पिण्ड्राजोरा, जिला बोकारो बताया गया। चालक प्रदीप गोराईं से ट्रैक्टर में लोड बालु से संबंधित वैध कागजात की मॉग की गई। परन्तु उनके द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाया गया। बिना परिवहन चालान के बालु खनिज का परिवहन

करना संज्ञेय अपराध है। फलस्वरूप विधिवत जप्ती सूची बनाकर प्रश्नगत वाहन, उस पर लदा बालु एवं वाहन के मालिक/चालक के विरूद्ध पिण्ड्राजोरा थाना में काण्ड दर्ज किया गया।

उक्त के क्रम में वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्रतिवादी को निबंधित डाक के माध्यम से अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया। जिसके आलोक में प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उपस्थिति दर्ज करते हुए कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान अधिहरण वाद सच्चाईयों पर एवं कानून के दृष्टिकोण से चलाने योग्य नहीं है। वादी के द्वारा विपक्षी के विरूद्ध लगाये गये आरोप सत्य से बिल्कुल परे, मनगढ़ंत एवं बेबुनियाद है। विपक्षी अजय गोराईं, ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नं0– JH09AK-7970 एवं ट्रॉली रजि0 नं0–JH09AK-7061 के मालिक है और वह निर्दोष है। उन्हें इस वाद में गलत तरीके से फँसाया गया है। जप्ती के समय वाहन खाली अवस्था में था, उस पर कोई बालु लोड नहीं था। सच तो यह है कि घटना की तिथि एवं समय को प्रतिवादी खाली वाहन को मरम्मति के लिए चास ले जा रहा था उसी बीच अंचल अधिकारी, चास के द्वारा वाहन को जप्त कर प्रतिवादी के विरूद्ध झूठा केश दर्ज कर दिया गया। जप्ती सूची तैयार करने के दौरान वादी के द्वारा किसी भी स्वतंत्र गवाह से इसका सत्यापन नहीं किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 11 में उल्लेखित प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया है। उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी ने झारखण्ड खान और खनिज अधिनियम या उसके संबद्ध अधिनियमों और नियमों के किसी भी नियम और विनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। वर्ममान में मान्नीय न्यायालय श्री रवि कुमार भाष्कर, J.M. 1st Class, Bokaro के द्वारा दिनांक–05.06.2023 को आदेश पारित करते हुए प्रश्नगत वाहन ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नं0– JH09AK-7970 एवं ट्रॉली रजिस्ट्रेशन नं0– JH09AK-7061 को (बालू छोड़कर) सशर्त विमुक्त किया जा चुका है। प्रतिवादी एक गरीब ग्रामीण है और प्रश्नगत वाहन उसके आजीविका का एक मात्र साधन है। इसलिए यह अधिहरण की कार्यवाही विधिक नहीं

है। अतः न्यायहित में इस वाद को खारिज करते हुए समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पिण्ड्राजोरा थाना कांड सं0–115/2022, दिनांक–14.09.2022 धारा–379/414/34 भा0द0वि0, 21 MMDR Act के अन्तर्गत जप्त प्रश्नगत वाहन को मान्नीय न्यायालय श्री रवि कुमार भाष्कर, J.M. 1st Class, Bokaro के द्वारा दिनांक–05.06.2023 को आदेश पारित करते हुए ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नं0–JH09AK-7970 एवं ट्रॉली रजिस्ट्रेशन नं0–JH09AK-7061 (बालू छोड़कर) को सशर्त विमुक्त किया जा चुका है। वाहन पर लदा बालू के संदर्भ में अब तक किसी के द्वारा भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्णित परिस्थिति में जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–24/2023, दिनांक–08.06.2023 को आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए पिण्ड्राजोरा थाना कांड सं0–115/2022, दिनांक–14.09.2022 के अन्तर्गत ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नं0– JH09AK-7970 एवं ट्रॉली रजिस्ट्रेशन नं0–JH09AK-7061 पर लदा करीब 100 घनफीट बालू (वाहन को छोड़कर) को राज्य सरकार के हित में राजसात् (Confiscate) किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

sd/- 10/7   sd/- 10/7

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

स्थानः– बोकारो।
दिनांकः– 10/07/2024

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2024.07.20 17:43:49 +05:30
Location: 192.168.1.104